

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक : वि.प्रा.(III)व-08 / 2012

पटना / दिनांक :

प्रेषक,

ओम प्रकाश राय,

अपर सचिव,

सेवा में,

सचिव,

राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद,

बिहार, पटना।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजना भिन्न बजट के मुख्यशीर्ष 2203-तकनीकी शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0002, राज्य तकनीकी शिक्षा पर्षद (विपत्र कोड- N2203000010002) के अधीन अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, कहना है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में पूर्व निर्गत आवंटनादेश संख्या-10(आ), दिनांक 12.06.2015 के क्रम में विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन 28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं विषयशीर्ष में द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित राशि से 31 मार्च 2016 तक नियमानुसार व्यय हेतु रु0 60,000=00 (साठ हजार रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया जाता है।

- (2) यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक-396, दिनांक 24.04.2015 एवं पत्रांक- 10471, दिनांक 16.12.2015 के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।
- (3) उक्त आवंटित राशि से डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के सृजित पद के विरुद्ध बेल्ट्रॉन द्वारा उपलब्ध कराये गये संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मी को अनुबंधित अवधि तक उनके द्वारा सम्पादित कार्यों के लिए निर्धारित दर से मानदेय का भुगतान नियमानुसार किया जा सकेगा।
- (4) उक्त आवंटित राशि का दूसरे विषयशीर्षों में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाए।
- (5) विभिन्न विषयशीर्षों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर समुचित आयोजना भिन्न, कोड संख्या सहित शीर्षों का नाम, मांग संख्या, विपत्र कोड तथा कुट संख्या सहित विषयशीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।
- (6) स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश तथा विपत्रों में कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग के पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/वि. दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।
- (7) व्यय विवरणी टी.भी. नं. एवं तिथि सहित प्रत्येक माह के 7(सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना तथा अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
- (8) इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह./ -

(ओम प्रकाश राय)
अपर सचिव

ज्ञापांक : वि.प्रा.(III)व-08/2012

पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि : प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले. एवं ह.), बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

अपर सचिव

ज्ञापांक : वि.प्रा.(III)व-08/2012

पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

अपर सचिव

ज्ञापांक : वि.प्रा.(III)व-08/2012

368111 पटना, दिनांक : 23/12/15

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ योजना सहायक/आई.टी. मैनेजर (ई-मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)/एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाइल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

तुम्हारे


23/12/15


अपर सचिव

आदेश- 23/12/15